be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a Member of either Houses of Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

(iii) to scrutinize, from time to time, the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters; That the Members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Committee;

That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the Members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION — Contd

Agrarian crises and persistent suicides by the farmers in Vidarbha region

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you. What is your point of order, Mr. Bhupinder Singh and under which rule? Tell me the rule.

SHRI BHUPINDER SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, I humbly draw your attention to Chapter VI - Arrangement of Business - and from Rule 24 which deals with Private Members' Business to Rule 26 which deals with Private Members' Resolutions.

Sir, I humbly submit that there is no mention that for a Resolution which has been taken up in the House for consideration has to be finished in two hours or three hours or four hours. There is nothing like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the direction of the hon. Chairman. It is as valid as rule ...(*Interruptions*)... See, the direction of the hon. Chairman is as valid as rule.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, it is a very important point. Let me finish it. The Resolution which has been taken up...

श्री विजय जवाहर लाल दर्डा : सर, मेरा Resolution है।

श्री भूपिंदर सिंह : आपका आ जाएगा और वह अगले सप्ताह में जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You reply to me.

SHRI BHUPINDER SINGH: This Resolution was discussed on 18th also and it was inconclusive. For further discussion, it has come to this House today. Sir, I am not challenging the authority of the Chair. I am only submitting. The rule says that there is no fixed time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told you that it is the direction from the hon. Chairman. It is as valid as rule. Now, sit down. Now, Mr. Vijay Darda.

SHRI BHUPINDER SINGH: It is not known to us. That is why I requested to participate in this debate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No problem. You keep this in mind next time. Give your name in advance, your name will come.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I gave my name in time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Vijay Darda to move a Resolution regarding agrarian crisis and suicides by farmers in Vidarbha region. It is a very important subject.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ :

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि :—

(क) विदर्भ एक और कृषि संकट तथा किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याओं से जूझ रहा है;

(ख) इस क्षेत्र में ग्यारह जिले अर्थात, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली शामिल हैं;

(ग) पिछले 17 वर्षों में करीब 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और भारत में कहीं न कहीं हर घंटे दो किसान ऐसा कठोर कदम उठाते हैं और उनमें से ज्यादातर विदर्भ से होते है;

(घ) विदर्भ मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहने वाला कृषि क्षेत्र है, फसले मानसून की अनियमितता पर निर्भर होती है जिससे उपज और आय में अनिश्चितता के कारण किसानों का जीवन अनिश्चित हो जाता है और उनका जीना दूभर हो जाता है;

(ड) कृषि आधारित और कुटीर उद्योगों की कमी के कारण, रोजगार और वित्तीय आय बहुत कम होती है;

(च) विदर्भ में 85 प्रतिशत कृषि भूमि असिंचित है और एक कृषक औसतन प्रति एकड़ तीन क्विंटल कपास उगाता है और इससे लगभग 15,000 रूपए कमाता है लेकिन इस पर निवेश लागत प्रति एकड़ 10,000 से 1,50,000 रुपये तक आती है; और

(छ) नकदी फसलों के प्रतिकूल मूल्य निर्धारण तथा करोबार के खुलेआम शोषण के कारण कृषि एक घाटे का कार्य बन गया है और यह विदर्भ के किसानों में व्याप्त ऋण-भार तथा हताशा का प्रमुख कारण है;

सभा की यह राय है कि:—

(i) केंद्र को विदर्भ में किसानों से ऋण वसूली की कार्यवाई को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए और उनको खतरनाक वसूली एजेंटों से बचाना चाहिए;

(ii) विदर्भ को 25,000 करोड़ रुपयों का एक पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र के बहुत सारे शेष कार्य संपन्न होंगे, संवहनीय फसल संवर्धन में सहायता मिलेगी, क्षेत्र में वृहत-सूक्ष्म सिचाई योजनाओं तथा अवसंरचना के विकास से संबंधित अन्य योजनाओं को सहायता मिलेगी;

(iii) कपास एवं सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की लागत तथा उस पर 50 प्रतिशत लाभ सीमा के समतुल्य होना चाहिए। किसानों को नई फसल के लिए दिया जाने वाला ऋण मौजूदा ऋण-शेष को माफ कर दिए जाने के बाद दिया जाना चाहिए तथा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्रों में नई प्रोद्योगिकी लाई जानी चाहिए;

(iv) किसानों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा संबंधी सुविधाएं करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक पृथक कोष बनाया जाना चाहिए क्योंकि विदर्भ के किसानों की हजारों विधवाओं को एक राहत और पुनर्वास पैकेज की बड़ी आशा है;

(v) जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वादा किया था, सरकार को शीघ्र की एक मूल्य स्थिरता कोष और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करनी चाहिए, सूखा संभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संभर योजनाएं शुरू करनी चाहिए। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण की सुविधाएं देनी चाहिए साख की पुनर्स्थापना के लिए नई बढ़ी हुई नाबार्ड निधि की स्थापना करनी चाहिए, भण्डारण में वृध्दि के लिए कदम उठाने चाहिए तथा विदर्भ में कृषि उत्पादों के विपणन पर से एपीएमसी प्रतिबंध समाप्त करने चाहिए;

(vi) केंद्रीय वित्त मंत्रालय का बैंकों के लिए एक ऋण-स्रोत की स्थापना करनी चाहिए जिससे वे 1950 के दशक में दिए गए भूमि-विकास ऋणों की तर्ज पर विदर्भ के किसानों को बीस वर्षों के लिए ऋण दे सकें और जिसके माध्यम से किसानों के समेकित ऋण का समाधान हो सके और तीन अन्य घटकों, यथा आगामी 12 महीनों के लिए किसानों के उपयोग संबंधी आवश्यकताओं, भूमि-विकास में उसके निवेश और फसल ऋण तथा बीमे के लिए उसकी मार्जिन राशि को इसके दायरे में लाना चाहिए;

(vii) ऋण शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए, तथा ऋण भुगतान हेतु

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

पांच वर्षों का ऋण स्थगन किया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र आवधिक ऋणों के वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक के इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से सम्पर्क कर सकें;

(viii) ऋण समेकन की परवर्ती कार्रवाई के रूप में केंद्र तथा महाराष्ट्र सरकार को विदर्भ में कृषि को एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए एक रणनीति बनाई जानी चाहिए और सिंचाई कार्य तथा बागवानी कार्यक्रमों के साथ-साथ कृषि उत्पादों के विपणन तथा संभाव्य लाभकारी मूल्य पर बाजार तक सम्पर्क इत्यादि जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए;

(ix) किसानों के समक्ष वर्षा की अनियमितता, नाशीजीवों, मौसम में परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी अद्यतनीकरण (उदाहरण के लिए बीटी कॉटन) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों जैसे अन्य मुद्दों एवं इन सबसे ऊपर आदान (इनपुट) गुणवत्ता पर भी साथ-साथ ध्यान दिया जाना चाहिए;

(x) केंद्र एवं राज्य को गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मान्यता देनी चाहिए तथा वित्त संभार तंत्र तथा संगठनों के संदर्भ में पूरी सहायता देनी चाहिए क्योंकि किसान सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा गैर सरकारी संगठनों पर अधिक विश्वास करते हैं;

(xi) सरकार को एनजीओ की संक्षिप्त सूची बनानी चाहिए। तथा प्रत्येक जिले में कम से कम दो (अथवा अधिक, यदि संभव हो) एनजीओ नियुक्त करके सीधे-सीधे आठ सप्ताह में कार्य पर लगा देना चाहिए;

(xii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा फसल प्रबंधन तंत्र में सुधार करके तथा मौसमी परिस्थितियों से मेल खाती वैकल्पिक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदान करके एक साल में फसल उत्पादन में अधिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है;

(xiii) जल संभरण आधार पर भूमि एवं जल संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु प्राकृतिक संसाधनों जैसे वर्षा, भूमि एवं जल का इष्टतम उपयोग तथा मृदा एवं जल के क्षय और पर्यावरण का अपकर्षण कम-से-कम होना चाहिए। जिससे न केवल भू-क्षरण और फसल नष्ट होने का खतरा कम होता है, बल्कि प्रति इकाई क्षेत्र तथा समय के अनुपात में भूमि की उत्पादकता भी बढ़ती है; और

(xiv) सूखे के अन्वेषण और उचित वर्षा जल प्रबंधन द्वारा उसके प्रभाव को कम करने के लिए तथा विदर्भ में ज्वार तथा कपास की बुआई के अनूकूल समय की भविष्यवाणी करने के लिए फसल निगरानी हेतु उपयोगी सूचना प्रदान की जानी चाहिए;

माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव के माध्यम से विदर्भ में व्याप्त संकट की ओर समस्त सदन और देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस विषय पर इस सदन में अनेकों बार मामले उठाएं गए हैं तथा विदर्भ की आपदा को आश्वासनों के बोझ में दबा दिया गया है। सरकारी घोषणाएं हुई, पैकेज की बात हुई, तमाम मंत्री तथा प्रधानमंत्री तक के दौरे हुए, लेकिन दौरों के बावजूद आज

तक वहां पर आत्महत्याओं का दौर ज्यों का त्यों चल रहा हैं यह विषय नेता लोगों के लिए पॉलिटिकल हो जाता है, मीडिया के लिए एक सेंसेशनल न्यूज़ तथा इकॉनमिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए एक और थ्योरी देने का काम करना है।

माननीय उपसभापति महादेय, मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, वह यह है :

"दर्द बांटने से अब डर लगता है, मेरे गमों को उसने फलसफा बना दिया।"

महोदय, आज पूर्ण विदर्भ कृषि संकट से गुजर रहा है। आत्महत्या तो जैसे विदर्भ की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गई है। अब कोई इन पर शोक नहीं मनाता है, बल्कि हर आत्महत्या एक नए आक्रोश को जन्म दे जाती है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** पीठासीन हुए]

इस चिंगारी से मैं इस सदन आगाह करवाता हूं कि यह एक व्यापक दावानल का रूप ले रही है। पिछले 17 सालों में विदर्भ में 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है। वहां जितनी मौतें हुई हैं उतनी तो कोई महामारी या कोई भीषण युद्ध में भी नहीं हुई होगी। आप इनकी विधवाओं, बच्चों और परिवार के बारे में सोचिए। विदर्भ के बच्चों में कुपोषण की बीमारी और विपन्नता है। यह विपन्नता इनको कहां लेकर जा रही है, इसको आप देखिए। यहां से बच्चे गायब भी हो रहे है। इनके लिए न तो पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो रहा है और न ही किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज् की व्यवस्था हुई है। उनके मां-बाप के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपने बच्चों की आगे की जिन्दगी के बारे में सोंच सके। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं :

"माँ-बाबा जब मेरी एक ख्वाहिश के लिए एक दूजे का मुंह देखते हैं,
तो सोचता हूं मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। "

विदर्भ में बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भण्डारा चंद्रपुर और गढ़चिरौली आते हैं। इनमें से कुछ भाग नक्सल प्रभावित हैं। यहां की कृषि सिंचाई साधनों के अभाव में वर्षा पर आधारित है, जिसकी वजह से फसल की पैदावार को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे जीवन और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है जब किसान भाई बैंकों से लोन लेकर बीजों की बुआई करते हैं और वर्षा न होने के कारण वे बीज मर जाते हैं तो उसके बाद वे साहूकार के पास पहुंचते हैं। उसे ज्यादा interest पर लोन देते हैं और फिर वे सहकारी बैंक और साहूकार रूपी दो पाटों के बीच में पिसते रहते हैं।

विदर्भ में कृषि पर आधारित कोई उद्योग नहीं है और न ही वहां पर मीडियम या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जिसकी वजह से वे ऐसे कदम उठाएं कि उनके आगे का भविष्य बन सके, उससे कृषि को भी एक सहारा मिल जाए और उनका परिवार चल सके। जैसा कि स्पष्ट है, विदर्भ की 85 परसेंट जमीन असिंचित है। यहां की मिट्टी काली और उपजाऊ है। वहां पर किसान कपास की खेती के लिए वहां की जमीन के महत्व को समझता है, लेकिन सिंचाई के साधनों के अभाव में वहां पर फसलों का कोई भविष्य नहीं है। अधिकतर किसान, जो कपास की फसल उगाते है, उन्हें प्रति एकड़ 4000 रुपए से 4200 रुपए तक मिलते हैं, जबकि उनकी लागत 6000 रुपए से 8000 रुपए प्रति एकड़ तक की होती है। कपास की लगातर गिरती कीमतों की वजह से वहां के लोगों में ऋण ग्रस्तता है। कपास की एमएसपी भी लागत से कम है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

सरकार को तुरंत किसानों से होने वाली रिकवरी को बन्द करना चाहिए। पिछले लोन वेवर से विदर्भ के किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इनक्लूज़न के तहत वहां कितने किसानों के खाते खुले हैं तथा कितने किसानों को "किसान क्रेडिट काड्र्स" दिए गए हैं ? ऐसे कितने किसान हैं जो अभी भी निजी कोऑपरेटिव बैंकों या साहूकारों से लोन ले रहे हैं तथा सरकार की ओर से उनके लिए क्या इंटररेस्ट रेट निर्धारित किया गया है ? मैं यह मांग करता हूं कि प्रायोरिटी लेंडिंग के तहत सभी ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी बैंकों को इसके लिए बाध्य किया जाए कि वे विदर्भ के किसानों को लम्बी अवधि का लोन दें तथा इंटरेस्ट की सीमा किसी भी हालत में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। विदर्भ में फसल बीमा योजना का काम ठीक नहीं चल रहा है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत सारे किसानों को टाइम बाउंड ढंग से लाया जाए तथा फसल खराब होने की स्थिति में इसका निपटारा 15 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए। विदर्भ में सिंचाई परियोजनाओं की हालत काफी गम्भीर है। जब भी किसी योजना की बात होती हैं तो उसे अन्य क्षेत्र को समर्पित कर दिया जाता है। यहां तक कि ओलावृष्टि में भी जब मुआवजा दिया गया तो उसमें भी विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विदर्भ के लिए कम से कम 25 हजार करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा तुरंत की जाए, जिससे तमाम घोषित परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। सिंचाई की जो परियोजनाएं भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय में किसी वजह से पेंडिंग हैं चाहे उसकी वजह पर्यावरण हो या प्लानिंग हो, उन्हें फास्ट ट्रैक पर मंजूर कराया जाय।

सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह कपास, पैडी और सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत की लाभ सीमा तय करके निर्धारित करे। इसकी सिफारिश कई कमिटियां समय-समय पर कर चुकी हैं। जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके परिवारों की विधवाओं, बच्चों, मां-बाप आदि के पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाए जिससे आश्रितों के लिए रोजगार तथा शिक्षा की व्यवस्था हो सके। कृषि विदर्भ के लिए अभिशाप साबित हो रही है। मैं चाहता हूं कि वहां के किसानों के लिए कृषि के अलावा किसी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो जिससे कि वे फसल के खराब होने की स्थिति में जीवन यापन कर सकें। यह वैकल्पिक व्यवस्था लघु उद्योग, गाय-भैंस, मुर्गी पालन आदि की भी हो सकती है। मैने देखा है कि जहां पर इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था है, वहां पर आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं।

महोदय विदर्भ में Price Stabilization Fund और कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय बाज़ार की सख्त आवश्यकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की छोटी-छोटी इकाइयों की स्थापना एवं वॉटर शेड स्कीम्स पर काम बहुत जरूरी है। यह सुझाव पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब ने भी दिया था। भूमिहीन किसानों के लिए भी कृषि ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उन्हें लघु उद्योग लगाने की सहूलियत दी जानी चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में अभी एपीएमसी के अन्तर्गत तमाम मंडियां काम कर रही हैं। इन मंडियों में सुधार की बहुत आवश्यकता है। अनाज और कपास की मण्डियों का प्रबंधन तो काफी हद तक ठीक हैं लेकिन सब्जी और फलों की जो मंडियां हैं वहां पर दलालों का बोलबाला है। वहां पर उनसे 20 प्रतिशत तक कमीशन लेते है, किसानों को ठगा जाता हैं तथा उन्हें वहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। इन मण्डियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे आते हैं लेकिन वहां उनके लिए न

टॉयलेट की व्यवस्था है, न ही उनके ठहरने की कोई व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। वहां पर इतनी ज्यादा गन्दगी है कि उस गन्दगी के कारण वहां बीमारियां भी हो रही हैं। जब वे वहां पर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आती हैं तो उनके लिए creches की भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय ताकि वहां पर गन्दगी से जो इंफेक्शन्स हो रहे हैं जिसका बोझा भारत सरकार के आरोग्य विभाग पर पड़ता है, वह न पड़े।

महोदय, विदर्भ में लोग बड़ी मात्रा में कृषि छोड़ रहे हैं तथा बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि को लाभदायक धंधा बनाने की सख्त जरूरत है। बैंकों तथा नाबार्ड को इस पर लॉंग-टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है तथा किसानों को हाउसिंग लोन की तरह 15 से 20 साल की अवधि का लोन सस्ते रेट पर दिया जाना चाहिए। आज हम लोग कार खरीदते हैं, तो इसके लिए सात साल की अवधि के लिए लोन मिलता है, लेकिन किसानों को 6 महीने के अन्दर उसकी Penalty लगनी रिकवरी शुरू हो जाती है। अगर वे रिकवरी नहीं दे पाते हैं तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है या उनको जेल भेजे जाने की बात कही जाती है। आज हम लोग देखते हैं कि कई बड़े-बड़े उद्योगों के पास खरबों-अरबों रुपए का एनपीए है, लेकिन उनकी ओर कोई उंगली नहीं उठाई जाती है जबकि किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।

महोदय, विदर्भ के प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विदर्भ में कोयला है, खनिज हैं, जंगल है, लकड़ी है, पानी है सब कुछ है लेकिन प्रबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है । इससे तो medieval time और British time में विदर्भ की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। महोदय, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विदर्भ की भलाई के लिए होना चाहिए। महोदय विदर्भ क्षेत्र इससे पहले इतना गरीब और विपन्न कभी नहीं था, जितना कि अब हो चुका है। इसकी माटी सूखे से तो सूखी ही है, लेकिन अब आक्रोश और सौतेलेपन के व्यवहार से सुलग रही है। मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं कि ये शोले छुटपुट बारिश की बौछारों से बुझने वाले नहीं है। हमें अपना हक चाहिए, हमें विदर्भ राज्य चाहिए।

महोदय, नागपुर देश का इकलौता शहर है जिसने आजादी के बाद अपना कैपिटल स्टेटस खो दिया है। पहले यह CP और Berar की राजधानी हुआ करती थी। महाभारत के काल से ब्रिटिश काल तक विदर्भ अलग राज्य के रूप में रहा है लेकिन भाषा के आधार पर जब राज्यों का विभाजन हुआ, तो विदर्भ को पतन के गर्त में डाल दिया गया। आप पश्चिमी महाराष्ट्र की प्रगति देखिए और विदर्भ की प्रगति देखिए। विदर्भ के साथ हो रहे सौतेलेपन के विकास की स्थिति साफ दिखाई देती है। एक तरफ लोग दौलत से खेल रहे हैं तथा स्लिम होने के लिए इलाज करा रहे हैं वहां विदर्भ, भुखमरी, अकाल और आत्महत्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ गोदामों में अनाज सड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लोग आत्महत्या कर रहे हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं।

महोदय, विदर्भ की स्थिति इतनी गम्भीर और संवेदनशील है कि अब अलग विदर्भ राज्य के अलावा कोई चारा नहीं है। मैनें विदर्भ के विकास के लिए पिछले 15 वर्षों में बार-बार इस सदन में कई मुद्दे उठाएं है। एक मुद्दा वर्धा-यवतमाल-नांदेड रेलवे लाइन का था। इस लाइन के लिए भूमि पूजन तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने 2008 में यवतमाल में किया था। इसके लिए जो 697 करोड़ रुपये की योजना थी, वह आज 1600 करोड़ रूपए की हो चुकी है, लेकिन वह काम इतनी धीमी गति से चल रहा है जिससे अनुमान है कि इस project को complete करने में 108 वर्षों का समय लगेगा।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Just a minute. Do you want...

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Sir, just give me two minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर) : अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट डे जब भी आपका रेजोल्यूशन होगा, तब आप इस पर फिर बोल सकते हैं। अब पांच बज रहे हैं, I think the House does not want to... ...(*Interruptions*)...

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Okay, Sir, I will continue next time.

SPECIAL MENTION — Contd

Demand to pass the communal violence Bill early so as to protcct the fraternity and brotherhood in the country

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Okay, this Resolution would be taken up on the next day allotted to the Private Members' Resolutions. But before that Chaudhary Munovver Saleem will lay his Special Mention.

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एक मिनट में पढ़ दूंगा।

† **چودھری منوّر سلیم :** سر، میں ایک منٹ میں پڑھ دوں گا۔

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आप ले कर दीजिए। आप पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, पूरा पढ़ना आपको एलाउ नहीं किया है, आप थोड़ा सा बोलकर ले कर दीजिए।

चौधरी मुनव्वर सलीम : महोदय, मैं एक मिनट में पढ़ दूंगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय देश का स्वभाव और स्वरूप, सद्भाव, प्रेम और भाईचारा है। इसी कारण संविधान रचयिताओं ने संविधान की मूल भावना धर्म निरपेक्षता को ही माना है। महोदय, भारत वर्ष के इतिहास में यह गर्व प्राप्त है जब भक्तिकाल को पढ़ेंगे तो साहित्य में रहीम, रसखान, कबीर के बिना भक्तिकाल पूरा नहीं होगा।

† **چودھری منوّر سلیم :** مہودے، میں ایک منٹ میں پڑھ دوں گا۔ مانَنے اپ سبھا ادھیکش مہودے، دیش کا سوبھاؤ اور سوروپ سدبھاؤ، پریم اور بھائی چارہ ہے۔ اسی کارن سنویدھان رچیتاؤں نے سنودھان کی مول بھاونا، دھرم نرپیکشتا کو ہی مانا ہے۔ مہودے، بھارت ورش کے اتہاس کو یہ گرو پراپت ہے کہ جب بھکتی کال کو پڑھیں گے تو سابتیہ میں رحیم، رس-خان، کبیر کے بنا بھکتی کال پورا نہیں ہوگا۔

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर) : आप ले कर दीजिए प्लीज।

---

†Transliteration in Urdu Script.